

प्रेषक,

जैनुद्दीन अंसारी
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
संत कबीर नगर।

विषय— श्री प्रभात रंजन चतुर्वेदी, एडवोकेट दीवानी न्यायालय, संत कबीर नगर के प्रार्थना पत्र
दिनांकित-10.03.2022 पर माननीय महोदय द्वारा दिनांक-14.03.2022 को मॉगे गये
स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर दिनांक-16.6.2021 को थाना-महुली, जिला संत कबीर नगर में अभियुक्तगण पंकज कुमार उर्फ पंचराम, रामवृक्ष एवं बिन्दु के विरुद्ध मु0अ0संख्या-187/2021, अन्तर्गत धारा-363, 366, 506, 368, 120बी भा0द0वि0 व धारा-16/17 पाक्सो एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया। मामले के विवेचक के काफी प्रयास के बावजूद भी अभियुक्तगण न तो गिरफ्तार हुए, न ही न्यायालय में आत्म समर्पण किये। अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया गया और न ही विचारण के स्तर पर कोई सहयोग किया जा रहा है। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक-15.8.2021 को मामले के विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की फरारी(मफरूरी) में दाखिल किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध एक अन्य अभियोग अन्तर्गत धारा-174ए भा0द0वि0 पृथक रूप से पंजीकृत कर पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो अभी भी हाजिरी में नियत चल रहा है, जिसमें केवल एक मात्र अभियुक्ता बिन्दु देवी ही उपस्थित आयी है, शेष अभियुक्तगण अभी भी अनुपस्थित है।

प्रस्तर वार स्पष्टीकरण-1:-दिनांक-22.02.2022 को सत्र वाद संख्या-661/2021, सरकार बनाम पंचराम(बिन्दु देवी आदि) में अभियुक्ता बिन्दु देवी उपस्थित आयी, किन्तु बार-बार पुकार लगाने के बावजूद मामले से सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। लन्च में विद्वान अधिवक्ता महोदय उपस्थित आकर न्यायालय के कर्मचारीगण को परेशान करने एवं उन पर दबाव बनाने लगे कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और कर्मचारीगण पर दबाव बनाते हुए वापस चले गये। लन्च बाद न्यायालय द्वारा बार-बार पुकार कराये जाने के उपरान्त विद्वान अधिवक्ता महोदय न्यायालय उपस्थित नहीं आये। पुनः जब न्यायालय कार्यवाही का समय समाप्त हो गया तो विद्वान अधिवक्ता न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर पेशकार एवं कार्यालय लिपिक को फिर धमकी देने लगे एवं परेशान करने लगे।

चूँकि मामले में मुख्य अभियुक्त पंचराम उर्फ पंकज कुमार फरार चल रहा था एवं पीड़िता भी बरामद नहीं हुई थी एवं वादिनी मुकदमा अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित आती रही है एवं वाद में अग्रिम कार्यवाही न होने के आधार पर न्यायालय से अभियुक्त पंकज उर्फ पंचराम की पत्रावली पृथक करने की मौखिक याचना की। उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के कारण अभियुक्त पंचराम उर्फ पंकज कुमार की पत्रावली पृथक कर मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली नियत कर दी गयी।

प्रस्तर वार स्पष्टीकरण-2:-दिनांक-23.2.2022 को पत्रावली अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपि देने एवं आरोप विरचन हेतु तिथि नियत की गयी, किन्तु अभियुक्ता बिन्दु देवी भी फरार हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने सम्मानित आदेश के अनुक्रम में अभियुक्ता बिन्दु देवी को इस शर्त के साथ जमानत दी गयी थी कि अभियुक्ता विचारण में सहयोग करेगी, प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगी एवं गवाहों को किसी प्रकार का प्रलोभन,

7da

धमकी नहीं देगी। अभियुक्ता बिन्दु देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण न्यायालय को विवश होकर गिरफ्तारी वारण्ट जारी करना पड़ा। अभियुक्ता बिन्दु देवी को पुलिस द्वारा दिनांक-24.2.2022 को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्ता बिन्दु देवी का जमानत प्रार्थना पत्र अभी इस न्यायालय में लम्बित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले के अन्तरण हेतु प्रार्थना पत्र माननीय महोदय के न्यायालय में दिये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया, किन्तु माननीय महोदय के किसी स्थगन आदेश के अभाव में उक्त सूचना/प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा किसी भी वादकारी को कुछ भी नहीं कहा गया, केवल विद्वान अधिवक्ता को बुलाने हेतु कहा गया। अभियुक्ता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता को बुलाने का प्रयास किया गया, किन्तु विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आये।

इसके बाद पत्रावली में दिनांक-28.2.2022 को अभियुक्तगण को नकलें प्राप्त करायी गयी एवं इसके उपरान्त दिनांक-04.3.2022 को आरोप पर बहस हेतु तिथि नियत की गयी। दिनांक-04.3.2022 को पत्रावली में दिनांक-07.3.2022 नियत की गयी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु समय मॉंगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक-07.3.2022 की तिथि नियत की गयी।

दिनांक-07.3.2022 को उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी की गयी तथा आदेश हेतु दिनांक-09.3.2022 पत्रावली नियत की गयी एवं दिनांक-09.3.2022 को उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए, अभियुक्तगण बिन्दु देवी एवं राम वृक्ष के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक-11.3.2022 को साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की गयी, जिसमें वादिनी मुकदमा की मुख्य पृच्छा अंकित की गयी, किन्तु विद्वान अधिवक्ता जिरह करने हेतु उपस्थित नहीं आये। बार-बार पुकार लगाने के बावजूद विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जब न्यायालय कार्यवाही का समय समाप्त हो गया, तब विद्वान अधिवक्ता महोदय न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य में बाधा डालने एवं यह दबाव डालने लगे कि इस पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम गम्भीर होंगे तथा मैं शिकायती प्रार्थना पत्र दूँगा। मेरे चाहने पर ही पत्रावली का निस्तारण होगा, अन्यथा नहीं होने पाएगा। मैंने पत्रावली के अन्तरण हेतु प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश के यहाँ दे दिया है।

प्रस्तर वार स्पष्टीकरण-3:-माननीय महोदय द्वारा दिनांक-04.3.2022 को इस मामले की मूल पत्रावली को दिनांक-16.03.2022 के लिए तलब किया गया था, जिसके अनुपालन में मूल पत्रावली समय से माननीय महोदय के कार्यालय में प्राप्त करा दी गयी थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा शिकायती/अन्तरण प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप निराधार एवं बेबुनियाद हैं तथा जान बूझ कर न्यायालय पर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु लगाये गये हैं, जिससे मामले का त्वरित निस्तारण न हो सके और पत्रावली में उनकी मन मर्जी के हिसाब से न्यायालय कार्य करे।

प्रस्तर वार स्पष्टीकरण-4:-पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत मामले का निस्तारण एक वर्ष के भीतर यथा-सम्भव करने का उपबन्ध है। उक्त मामले में विद्वान अधिवक्ता के सह एवं निर्देश पर ही मामले का मुख्य अभियुक्त पंचराम उर्फ पंकज कुमार फरार रहा है तथा दिनांक-16.3.2022 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। लगभग 09 माह पत्रावली अभियुक्तगण की हाजिरी में चलती रही है। विद्वान अधिवक्ता एक सोची समझी रणनीति के तहत मामले को विलम्बित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न्यायालय को बाध्य होकर पाक्सो अधिनियम के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु मामले में (Short Date) नजदीक की तिथियाँ लगाते हुए मामले के निस्तारण का यथा-सम्भव प्रयास किया जा रहा है, किन्तु उसके

Jela

लिए विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं।

माननीय महादेय, पत्रावली में ऐसी कोई तिथि नियत नहीं की गयी है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हो। पाक्सो अधिनियम में यदि साक्षी नियत तिथि को उपस्थित आता है, तो यथा-सम्भव उसी दिन उस साक्षी का साक्ष्य अंकित करते हुए न्यायालय द्वारा पाक्सो अधिनियम के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तर वाद स्पष्टीकरण-5:-माननीय महोदय, यह प्रस्तर प्रतिलिपि अनुभाग से सम्बन्धित है। जब भी किसी पत्रावली में प्रतिलिपि हेतु अभियाचन कार्यालय में प्राप्त होता है तो उससे सम्बन्धित मूल अभिलेख/पत्रावली उक्त अभियाचन के माँग की पूर्ति हेतु प्रतिलिपि अनुभाग अथवा सम्बन्धित अनुभाग को समय से प्राप्त करा दी जाती है। विलम्ब से अभियाचन प्रेषित किये जाने की कोई सूचना किसी वादकारी अथवा विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में नहीं दी गयी है।

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात रंजन चतुर्वेदी द्वारा साक्षी से जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण ही अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-15.3.2022 को श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव को अपना अधिवक्ता इस वाद में पैरवी हेतु नियुक्त किया गया है।

माननीय महोदय, अभियुक्ता विन्दु देवी जब पुनः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्मानित सशर्त जमानत आदेश के उल्लंघन में गिरफ्तार होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयी तो उसने बताया कि "उसके विद्वान अधिवक्ता ने उससे कहा था कि तुम न्यायालय में उपस्थित मत होना, हम मामले को विलम्बित करा देंगे, नहीं तो कार्यवाही आगे बढ़ जाएगी तथा तुम लोगों की सजा हो जायेगी। तुम न्यायालय में उपस्थित न होना। हम मामले को विलम्बित कराते रहेंगे।"

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी/शिकायतकर्ता श्री प्रभात रंजन चतुर्वेदी, एडवोकेट का आचरण मामले को पूरी तरह से विलम्बित करने, न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने का है, जिससे पाक्सो अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाय। न्यायालय द्वारा बार-बार पुकार कराने पर मामले की अग्रेतर कार्यवाही में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, किन्तु जैसे ही जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु तिथि नियत होती है, उपस्थित हो जाते हैं। उक्त आचरण विद्वान अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति सहज नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त विद्वान अधिवक्ता के आचरण के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट उ० प्र० बार काँसिल को प्रेषित की जाए, जिससे पाक्सो अधिनियम के तहत मामलों का निस्तारण न्यायालय द्वारा बिना किसी दबाव के भयमुक्त होकर यथा-सम्भव किया जा सके।

प्रस्तर वार स्पष्टीकरण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

दिनांक-21.03.2022

Jainuddin Ansari
(जैनुद्दीन अंसारी)

अपर सत्र न्यायाधीश/ 21/03/2022
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।